

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प - 5216

विषय : राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों का वर्गीकरण।

फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में राज्यकर्मियों के छठे वेतन पुनरीक्षण से संबंधित वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-660, दिनांक 28.02.2009 के आलोक में केन्द्र के अनुरूप राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों को निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया जाता है :-

क्र०	पदों का विवरण	पदों का वर्गीकरण
1	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला पद - 37,400-67,000/- रु० वेतनमान में वेतन बैंड-IV में 10,000/- रु०, 8,900/- रु० एवं 8,700/- रु० तथा 15,600-39,100/- रु० में वेतन बैंड- III में 7,600/- रु०, 6,600/- रु० एवं 5,400/- रु०	समूह 'क'
2	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला पद - 9,300-34,800/- रु० के वेतनमान में वेतन बैंड- II में 5,400/- रु०, 4,800/- रु०, 4,600/- रु० एवं 4,200/- रु०	समूह 'ख'
3	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला पद - 5,200-20,200/- रु० के वेतनमान में वेतन बैंड- I में 2,800/- रु०, 2,400/- रु०, 2,000/- रु०, 1,900/- रु० एवं 1,800/- रु०	समूह 'ग'
4	निम्नलिखित ग्रेड वेतनों वाला पद - 4,440-7,440/- रु० के वेतनमान में -1एस. वेतन बैंड में 1,300/- रु०, 1,400/- रु०, 1,600/- रु० एवं 1,650/- रु०	समूह 'घ'

2. अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पद समूह 'क' के समझे जायेंगे।

3. यदि किसी सेवा/संवर्ग की नियमावली में वर्गीकरण संबंधी कोई प्रावधान न हो तो प्रशासी विभाग उसे तदनुकूल संशोधित कर लेगा।

4. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य रदरुप)
27/2/2010

सरकार के प्रधान सचिव।